Dr. V. K. R. V. Rao: I shall look into this question: the hon. Member wants to know whether a workers' representative would be put on this particular committee.

Shri S. S. Kothari: Would the hon. Minister kindly inform also what is the compensation that has been given by the Company to the employees who have been discharged and whether the Government proposes to see that an equitable compensation is given to those employees by the company?

Dr. V. K. R. V. Rao: Certainly; the compensation is being paid by the new company according to rules.

Shri S. S. Kothari: To what extent?

Dr. V. K. R. V. Rao: Under the Industrial Disputes Act, there is I think, 15 days' salary for every one year of service or something of that kind.

Shri Hem Barua: What will they do after 15 days? You are throwing them in the streets.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बंबई के गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

308. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
डा० रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 अप्रैल, 1967 को बंबई पोर्ट ट्रस्ट के गोदी कर्मचारियों ने अपनी मांगें मनवाने के लिये सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). गोदी विभाग के लगभग 3000 कर्मचारी जिनमें मुख्यतः शेड और गोदाम में कार्यरत किरानी और अधीक्षक कर्मचारी थे पहरा और निगरानी तथा गोदी के सफाई मजदूरों के लगभग 150 कर्मचारी और बंबई पोर्ट ट्रस्ट के श्रम विभाग द्वारा चलाये जाने वाले विभागीय कान्टीनों के लगभग 290 कर्मचारियों ने 11 अप्रैल, 1967 को 00.30 बजे से 24.00 बजे तक एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करदी थी । उनकी शिकायत यह थी कि 1965 में संघ द्वारा पेश किये गये प्रपत्र में शामिल की गई उनकी कुछ मांगें अक्रियान्वित तथा अनिर्णीत रह गई थी । ये मांगें मुख्यतः शेड कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसरार्थ विभिन्न वर्गों में उच्चतर स्थानों का सृजन, कुछ रिक्त स्थानों को भरने वेतन नियत करने में असंगतियों को ठीक करने, शेड और गोदामों में मौजूदा फरनीचर को बदलने कान्टीन में कर्मचारियों का राशनिंग करने, धन को धरा उठाई में जोखिम भत्ता के दिये जाने, वर्दी व्यवस्था इत्यादि से संबद्ध थीं । इन मांगों के बारे में संबद्ध संघ तथा पोर्ट अधिकारियों के बीच विचार विमर्श हो चुका है और कई मांगों के बारे में समझौता हो गया है । शेष मांगों के बारे में विचार विमर्श हो रहा है । समय समय पर इन प्रकार की मांगों के बारे में विचार विमर्श करने के लिये एक विभागीय कार्य-पद्धति भी स्वीकृत कर ली गई है ।